

## विचार बिन्दु

कदम पीछे ना हटाने वाला ही ऐश्वर्य को जीतता है। -ऋग्वेद

## तारीख पर तारीख: न्याय नहीं, पेंशनरों के साथ निर्मम प्रतीक्षा

राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के पेंशनरों की पीड़ा अब केवल एक प्रशासनिक या वित्तीय समस्या नहीं रह गई है; यह शासन की संवेदनहीनता, न्यायिक विलंब और नीतिगत असफलताओं का ऐसा ज्वलंत उदाहरण बन चुकी है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। जिन लोगों ने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष शिक्षा, अनुसंधान और कृषि विकास को समर्पित कर दिए, आज वही अपने अधिकार-पेंशन-के लिए दर-दर भटकने को विवश हैं। यह स्थिति न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि राज्य की नैतिक जिम्मेदारी पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 08 फरवरी 2010 को प्रकाशित एक समाचार से हुई, जिसने इस अन्याय को सार्वजनिक मंच पर उजागर किया। मामला इतना गंभीर था कि राज्यपाल उच्च न्यायालय, जयपुर को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। 24 सितंबर 2010 को न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए तथा पेंशनरों को विलंब अर्थात् के न्याय सहित समस्त देय भुगतान सुनिश्चित किया जाए, उस समय सरकार ने आदेश की पालना की और अनुदान एवं ऋण के माध्यम से विश्वविद्यालयों को राहत दी गई, जिससे पेंशनरों को बकाया राशि, छूटे वेतनमान का परिचय तथा ग्रेच्युटी का भुगतान हो सका।

परंतु यह समाधान स्थायी नहीं था-यह केवल एक अस्थायी राहत थी। वर्ष 2014 में राज्य सरकार ने अचानक पेंशन के लिए अनुदान और ऋण देना बंद कर दिया। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि हजारों बुजुर्ग पेंशनरों के जीवन पर सीधा आघात था। आर्थिक असुरक्षा, मानसिक तनाव और सामाजिक असम्मान की त्रासदी ने पेंशनरों को फिर से न्यायालय की राफ्त लेने के लिए मजबूर कर दिया।

स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पेंशनरों ने वेल्फेयर सोसायटी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 3 मई 2016 को राज्यपाल उच्च न्यायालय, जयपुर ने एक बार फिर राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह विश्वविद्यालय को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि निर्मित पेंशन के साथ 11 माह की बकाया पेंशन का भुगतान किया जा सके। न्यायालय ने इस दौरान यह भी उल्लेख किया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान 25 पेंशनरों का निधन हो जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह टिप्पणी केवल संवेदना नहीं थी, बल्कि व्यवस्था पर एक कठोर टिप्पणी थी।

लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह और भी चिंताजनक है। राज्य सरकार ने इस आदेश का पालन करने के बजाय डबल बेंच में अपील दायर कर दी। तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है और पेंशन का दायित्व उसी का है। यह तर्क न केवल तकनीकी रूप से कमजोर है, बल्कि नैतिक रूप से भी अस्वीकार्य है। विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति स्वयं इस बात का खंडन करती है-जहाँ सीमित छात्र संख्या, नाण्य फीस आय और कृषि अनुसंधान केंद्रों से कोई ठोस आय नहीं है, वहाँ पेंशन जैसे दीर्घकालिक दायित्वों का निर्वहन कैसे संभव है?

मई 2017 में डबल बेंच ने अंतिम राहत देते हुए तीन माह की पेंशन के भुगतान का आदेश दिया। इसके बाद यह व्यवस्था बनी कि जब तक अपील लंबित है, राज्य सरकार पेंशन के लिए राशि देती रहेगी। लेकिन यह

यह केवल पेंशनरों की लड़ाई नहीं है, यह न्याय, संवेदनशीलता और शासन की जवाबदेही की लड़ाई है। अब और विलंब न केवल अन्याय होगा, बल्कि इतिहास में एक कलंक के रूप में दर्ज होगा। और भी चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे प्रकरण ने समाज में एक खतरनाक संदेश प्रसारित किया है-कि यदि आप जीवन भर ईमानदारी से सेवा भी करें, तो भी बुढ़ापे में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।

दायर की, जिसमें यह मांग की गई कि पेंशन की जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य सरकार उठाए और पेंशनरों को राज्य कर्मचारियों के समान लाभ मिले। यह मांग न केवल न्यायोचित है, बल्कि व्यावहारिक भी है। परंतु पाँच वर्षों में इस याचिका की प्रगति भी अत्यंत निराशाजनक है-सरकार ने नोटिस का जवाब देना तक आवश्यक नहीं समझा। आज स्थिति यह है कि लगभग 3000 पेंशनर इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के शिकार हैं। इनमें से लगभग 300 पेंशनर अपने अधिकार की प्रतीक्षा करते-करते इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। यह केवल आँकड़े नहीं हैं, बल्कि एक संवेदनशील व्यवस्था का मौन अभिवादन है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या एक कल्याणकारी राज्य में बुजुर्ग नागरिकों को अपने जीवन के अंतिम चरण में इस प्रकार अन्याय और असुरक्षा का सामना करना चाहिए? क्या न्याय केवल आदेशों तक सीमित रह जाएगा, या उसका वास्तविक क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाएगा? क्या तारीख पर तारीख को यह परंपरा कभी समाप्त होगी?

राज्य सरकार अक्सर वित्तीय संकट का तर्क प्रस्तुत करती है, परंतु यह तर्क वास्तविकता के घरातल पर टिकता नहीं है। राज्य का वार्षिक बजट लाखों करोड़ का है, जिसमें से कुछ सौ करोड़ रुपये पेंशनरों के लिए आवंटित करना कोई असंभव कार्य नहीं है। यह मुद्दा संसाधनों का नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं का है। जब सरकार बड़े-बड़े विकास कार्यों और योजनाओं पर खर्च कर सकती है, तो अपने ही कर्मचारियों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक राशि क्यों नहीं दे सकती? अब समय आ गया है कि इस विषय पर अंतिम और ठोस निर्णय लिया जाए। पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उन वर्षों की मेहनत और समर्पण का सम्मान है, जो इन पेंशनरों ने राज्य के विकास के लिए दिए हैं। यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो यह तारीख पर तारीख की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कड़वा उदाहरण बन जाएगा-एक ऐसा उदाहरण, जहाँ एक राज्य अपने ही कर्मियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल है।

यह केवल पेंशनरों की लड़ाई नहीं है, यह न्याय, संवेदनशीलता और शासन की जवाबदेही की लड़ाई है। अब और विलंब न केवल अन्याय होगा, बल्कि इतिहास में एक कलंक के रूप में दर्ज होगा। और भी चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे प्रकरण ने समाज में एक खतरनाक संदेश प्रसारित किया है-कि यदि आप जीवन भर ईमानदारी से सेवा भी करें, तो भी बुढ़ापे में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इससे युवा पीढ़ी के मन में सरकारी सेवाओं के प्रति विषयवासना का जन्म होता है। एक जिम्मेदार सरकार का दायित्व केवल योजना बनाना नहीं, बल्कि अपने कर्मियों को सुरक्षा और सम्मान देना भी है। यदि आज पेंशनरों के साथ यह अन्याय जारी रहा, तो कल यह व्यवस्था की विश्वसनीयता को ही खोखला कर देगा। इसलिए अब निर्णय का समय है-और वह भी तुरंत, स्पष्ट और न्यायपूर्ण।

-अतिथि सम्पादक,

डॉ. पी. सी. केंठालिया,

पूर्व प्रोफेसर एवं उपाध्यक्ष

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रा. विश्वविद्यालय पेंशनर वेल्फेयर सोसायटी, उदयपुर

### राशिफल गुरुवार 16 अप्रैल, 2026



पंडित अनिल शर्मा

तक, लाभ-अमृत 12:27 से 3:37 तक, शुभ 5:12 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:06, सूर्यास्त 6:47

मेष	सिंह	धनु
घर-परिवार के कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।	अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। परिवारिक परेशानियों से अजीब-बिचल बनी रहेगी। घर-गृहस्थी के कार्यों में विलंब हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में सावधानी बरतें।	घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों हो सकती हैं। परिवार में वाद-विवाद हो सकते हैं।
वृष	कन्या	मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी।	परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिवारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
मिथुन	तुला	कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।	व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बने लगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।	व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। संभावित खोले से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।
वृश्चिक	मीन	
व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। अटक हुए कार्य बने लगे। नौकरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।	



मणिमाला शर्मा

सरेआम छेड़छाड़, पर्यटकों के साथ अश्रद्धा और वायरल होते वीडियो, क्या शहर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रतिक्रियात्मक बन चुकी है?

जयपुर की सड़कों पर इन दिनों जो हो रहा है, उसे सामान्य छेड़छाड़ कहकर हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसे देखा जाए तो यह सीधे-सीधे महिलाओं की गरिमा पर हमला है और उससे भी ज्यादा, कानून की साख पर राह चलती लड़कियों का पीछा करना, रास्ते में बाइक सवारों की फर्बियाँ, सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें करना आदि ये अब इक्का-दुक्का घटनाएँ नहीं रही हैं। अब यह एक खतरनाक पैटर्न बन चुका है और सबसे डरावनी बात यह है कि इस व्यवस्था के चेहरे पर कतई डर नहीं दिखता है, बल्कि एक अजीब-सा आत्मनिश्चय दिखता है। जो कि सभ्य समाज के लिए खतरनाक है। इन सब घटनाओं के मद्देनजर क्या अब यह मान लिया जाए कि सड़कों पर महिला होना अब

असुरक्षित है?

9 अप्रैल 2026 को न्यू सांगानेर रोड (इस्कॉन रोड) पर जो हुआ, उसने इस सच्चाई को नंगा कर दिया। बाइक टैक्सि पर बैठे एक युवती के साथ दो मनचले युवकों ने छेड़छाड़ की और फिर उसी का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखा जाए तो उन दोनों ने केवल अपराध ही नहीं किया बल्कि कानून खुली चुनौती दी है। मनराज और सुदामा मीणा नाम के ये दोनों आरोपी क्या यह नहीं जानते थे कि वे अपराध कर रहे हैं? या उन्हें पूरा भरोसा था कि यह सब करने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा? जब अपराधी अपने गलत कृत्यों को छिपाने के बजाय उसे 'रील' बनाकर दिखाते लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं बचा है।

यह घटना अकेली नहीं है। मार्च में चारदीवारी क्षेत्र में एक जर्मन महिला पर्यटक को हिंदा सिखाने के बहाने अश्लील गालियाँ उटवाई जाती हैं और उसका मजाक उड़ाया जाता है। 5 अप्रैल को जयगढ़ किले के पास सुबह की सैर पर निकली एक जापानी महिला पर्यटक को पाँच युवक घेर लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। यह यह केवल सामान्य बदमाजी नहीं, बल्कि उस शहर की पहचान पर चोट है, जो खुद को मेहमाननवाजी की मिसाल बताता है। अगर 'अतिथि' ही असुरक्षित है, तो हमारी संस्कृति का दावा

किस काम का?

अब सीधा सवाल यह है कि जब कानून मौजूद है, तो उनका असर क्यों नहीं दिखता? भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354 और 509 स्पष्ट रूप से ऐसे अपराधों को परिभाषित करती हैं और सजा का प्रावधान तय करती हैं। नए आपराधिक कानूनों में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई गई है। फिर भी अगर अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं और उसे रिकॉर्ड कर प्रसारित भी कर रहे हैं, तो यह कानून की कमी नहीं, बल्कि उसके लागू होने की विफलता है। अब देखने वाली और पुलिस प्रशासन से सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या इन मामलों में तुरंत दर्ज हुई है? क्या आरोपियों को उसी तेजी से गिरफ्तार किया गया, जिस तेजी से वीडियो वायरल हुआ? और सबसे अहम सवाल कि क्या इन मामलों में आरोपियों को सजा होगी, और वह भी समयबद्ध? या फिर हर बार की तरह यह मामला भी कुछ दिनों की सुविधों के बाद टंडा पड़ जाएगा? अगर सजा का डर नहीं है, तो कानून केवल कितानों में जंदा रहता है, सड़कों पर नहीं।


पुलिस पर भी सवाल उठाना लाजमी है। हर बार वही कहानी और घटना दोहराई जाती है, पहले वीडियो वायरल होता है, फिर कार्रवाई शुरू होती है। तो क्या पुलिस अब सिर्फ सोशल मीडिया के दबाव पर काम करेगी? सवाल यह उठता है कि 'प्रिवेंटिव पुलिसिंग' यानी

अपराध होने से पहले उसे रोकने की जिम्मेदारी क्या अब सिस्टम से गायब हो चुकी है? पुलिस की शहर के संवेदनशील इलाकों, सुनसान सड़कों और पर्यटन स्थलों पर नियमित गश्त क्यों नहीं दिखती है? सदी बर्दी में पुलिसकर्मी क्यों नहीं नजर आते? पर्यटन स्थलों पर महिला पुलिसकर्मी की तैनाती क्यों नहीं की जाती है? इन सब मामलों में सरकार से भी जवाब मांगा जाना चाहिए। 'स्मार्ट सिटी' के नाम पर कैमरों और कंट्रोल रूम की लंबी-चौड़ी व्यवस्था खड़ी की गई है। लेकिन क्या ये कैमरे केवल फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए हैं, या फिर कभी इन्हें अपराध रोकने के लिए भी यूज किया जाएगा? बाइक-टैक्सि और कैब सेवाओं का वेरिफिकेशन कहाँ है? रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम क्यों नहीं लागू है? पर्यटन स्थलों की सुरक्षा का स्वतंत्र ऑडिट आखिरी बार कब हुआ था? यह कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सरकार और पुलिस प्रशासन को देने ही होंगे और ऐसी कड़ी कानून व्यवस्था लागू करनी होगी ताकि आगे से कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले सो बार सोचे।

यहाँ समाज भी कम दोषी नहीं है। कानून तो सही है, घटनाएँ सामने हैं, सबूत केमरों में कैद हैं, सोशल मीडिया में वीडियो हैं फिर भी अपराधियों को डर क्यों नहीं है? अगर कानून सड़कों पर दिखाई नहीं देता, तो अपराधियों को यह यकीन होने लगता है कि वह है ही नहीं। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि डर खत्म होते ही कानून केवल कितानों में रह जाता है या अन्य मामलों हर जगह लोग मौजूद थे, मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे लेकिन किसी ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश नहीं की। यह

-मणिमाला शर्मा, सोनियर जर्नलिस्ट

## नदारद होते नीड़ और वीरान होते वन-उपवन



डॉ. कैलाश चन्द्र सैनी

जब चिड़ियों खामोश होती हैं, तो केवल पेड़ ही नहीं, हमारे बचपन की संवेदनाएँ भी सूख जाती हैं। कंक्रीट के इस दौर में परिदों की चुपकी एक बड़ी चेतावनी है। क्या हम मुट्ठी भर दाना और एक सकोरा पानी देकर अपनी इस खोती हुई विरासत को बचाने के लिए तैयार हैं? यह लेख उसी उजड़ती दुनिया की एक मर्मस्पर्शी पुकार है।

पक्षियों के बिना जीवन की सरसता वैसी ही है जैसे बिना आत्मा का शरीर निस्पंद, नीरस और रिक्त। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा संसार रचा था जहाँ प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सहज, आत्मीय और अटूट सेतु था। पेड़ केवल हरियाली नहीं थे, वे सैकड़ों परिन्दों के घर थे; और आँगन केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि जीवन की गुँज से भरा एक जीवंत संसार था। लेकिन आज, विकास की अंधी दौड़ में हमने उसी सेतु को निर्ममता से ध्वस्त कर दिया है। परिदों का वह मधुर 'कलरव', जो कभी हमारे कर्णों में मिश्री घोला था, अब शहरी कोलाहल और मशीनी शोर के नीचे दबकर कहीं खोता जा रहा है।

भोर की वह विलुप्त होती दस्तक एक समय था जब हमारी सुबह किसी कृत्रिम अलार्म की कर्कश ध्वनि

से नहीं, बल्कि घर-आँगन के पेड़ों पर बैठे चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी। गौरैया घर की ऐसी सदस्य थी जो तस्वीरों के पीछे, रोशनदानों में, या दीवारों की छोटो-छोटो दरारों में बिना अनुमति लिए ही अपना घर बसा लेती थी। उसकी चंचलता घर के हर कोने में जीवन का स्पंदन भर देती थी।

परंतु आज के आधुनिक 'स्मार्ट होम्स' ने इन मासूम जीवों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। रोशनदानों की जगह एयर-कंडीशनर की डक्ट्स ने ले ली है, और खुली खिड़कियों की जगह काँच की बंद दीवारों ने। अलुबुली गौरैया अब वास्तविकता से अंधक स्मृतियों का हिस्सा बनती जा रही है। अल सुबह, जहाँ कभी पेड़ों की घनी छांव में उनका सामूहिक कलरव एक मधुर राग छेड़ता था, वहाँ अब एक अजीब-सी खामोशी पसरी रहती है। मानो प्रकृति स्वयं किसी खोई हुई धुन को तलाश रही हो।

दोपहर का सन्नाटा और लुप्त होते शिकारों

दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब वातावरण ठहर-सा जाता था, तब बिजली के तारों पर बैठा हरा पतंगिया अपनी अद्भुत फुर्ती से सबका ध्यान आकर्षित करता था। हवा में उड़ते कोंट को बिजली-सी गति से झपटकर पकड़ लेना, और फिर उसी तार पर बैठकर अपनी चोंच को तार से टकराते हुए उसे निगल जाना, यह दृश्य किसी कुशल योद्धा के सघे हुए अभ्यास जैसा प्रतीत होता था।

इसी तरह कलगीघारी हुदहूद भी कभी घरों के लॉन और बगीचों की मुलायम मिट्टी में अपनी लंबी चोंच डालकर भोजन खोजता था। आज स्थिति यह है कि शहरों में लॉन सिर्फ घास हैं, बगीचों में सम्राट हो गई हैं, और जहाँ कभी मिट्टी की सौंधी महक थी,

वहाँ अब टाइल्स और कंक्रीट का साम्राज्य है। जब धरती ही सीमेंट की परतों के नीचे दम तोड़ रही हो, तो ये नन्हे जीव अपना भोजन कहाँ तलाशें? यह केवल उनके अस्तित्व का संकट नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरणीय संतुलन के विघटन का संकेत है।

बदलती संवेदनाएं: सरोकारों से विमुख होता मनुष्य

समय के साथ केवल भौतिक परिवेश ही नहीं बदला, बल्कि मनुष्य की संवेदनाएँ भी क्षीण होती चली गईं। एक समय या जब हर घर की मुंडेर पर मिट्टी का एक सकोरा (परिड़ा) पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए रखा जाता था। घर की महिलाएँ पहली रोटी या मुट्ठी भर दाना छत पर डालना अपना कर्तव्य और पुण्य समझती थीं। आज यह परंपरा विलुप्तप्राय है।

विडंबना यह है कि आधुनिकता के प्रतीक कहीं भव्य प्रतिष्ठानों 'दाना-पानी' जैसे नाम तो धारण करते हैं, पर उनके आसपास किसी पक्षी के लिए पानी की एक बूंद तक उपलब्ध नहीं होती। हम अपने वंशजों के लिए बैंक बेलेंस और आलीशान मकान तो छोड़ जाना चाहते हैं, पर उन्हें एक जीवंत पर्यावरण देने के प्रति उदासीन हैं।

एक व्यक्तिगत संकल्प: सुकून की तलाश

इस निराशाजनक परिदृश्य के बीच कुछ छोटे-छोटे व्यक्तिगत प्रयास अभी भी आशा की किरण जागते हैं। मैं प्रतिदिन एक पार्क में जाता हूँ और वहाँ पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करता हूँ। जब कबूतर, तोते, फाखा और मैना समूह में आकर भोजन करते हैं और गिलहरियाँ भी उनमें शामिल होकर चंचलता बढा देती हैं, तो वह दृश्य मेरी एक अद्भुत शांति से भर देता है। यह केवल दाना



खिलाना नहीं है, यह उस 'ऋण' की आंशिक पूर्ति का प्रयास है, जो हम पर प्रकृति की है।

गोधुलि वेला: सरल सवालों के कठिन जवाब

सांझ ढलते ही जब आकाश सिंदूरी आभा से रंगीन होता है और पक्षियों के झुंड अपने बसेरों की ओर लौटते हैं, तब एक विहंगम दृश्य सामने आता है। लेकिन आज जब दृश्य भी प्रशनों से घिर गया है। जब मैं सांझ की इस बेला में अपने पौत्र को छत पर ले जाता हूँ, तो वह उत्सुकता से उड़ते हुए पक्षियों को देखता है और मासूमियत से पूछ बैठता है: 'दादा, ये कौन से पक्षी हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं?'

उसके इन सरल सवालों का जवाब देने में आज हमें हिचकिचाहट होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके बसेरों अब सुरक्षित नहीं हैं।

परिदों की परवाज अब धीमी पड़ रही है। उनकी खामोशी में एक गहरी अंधेरा हमें घेरता है। यदि हमने समय रहते इसे नहीं समझा, तो आने वाली पीढ़ियों को केवल कितानों और निवृत्तों में ही देख पाएंगी।

संकट के बादल और हमारा सामूहिक धर्म

पक्षियों के संरक्षण के लिए कानून

## अरावली में तेंदुआ-मानव संघर्ष की नई तस्वीर: नुकसान भारी, फिर भी कायम है सहअस्तित्व



डॉ. कमलेश शर्मा

जयसमंद अभयारण्य क्षेत्र में 13 साल में 572 घटनाएँ, 98 प्रतिशत मामलों में पशुधन शिकार; मुआवजा प्रणाली कमजोर, लेकिन लोगों की सहनशीलता मजबूत

राजस्थान के दक्षिणी अरावली क्षेत्र में इंसान और तेंदुआ के बीच संबंध टकराव और सह अस्तित्व का अनेखा मिश्रण बनकर सामने आया है। इनमें बकरियाँ, गाय और बछड़े सबसे ज्यादा शिकार बने। शोध में पाया गया है कि संघर्ष वाले और अभयारण्य के पास स्थित गाँवों में खतरा सबसे अधिक पाया गया, जहाँ मानव बस्तियाँ और वन क्षेत्र एक-दूसरे से सटे हुए हैं।

डॉ. विजय कुमार कोली और उनके दल के कमल वैष्णव, निर्णय सिंह चौहान व उत्कर्ष प्रजापति द्वारा 2011 से 2024 के बीच किए गए इस अध्ययन में 572 मानव-तेंदुआ संघर्ष घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें से लगभग 98 प्रतिशत मामले पशुधन के शिकार से जुड़े थे।

रात में बढ़ता है खतरा, बकरियाँ सबसे ज्यादा निशाने पर कोली ने बताया कि शोध के अनुसार तेंदुआ के हमले मुख्य रूप से रात के समय होते हैं, जब पशु खुले या कच्चे बाड़ों में बंधे होते हैं। इनमें बकरियाँ, गाय और बछड़े सबसे ज्यादा शिकार बने। शोध में पाया गया है कि संघर्ष वाले और अभयारण्य के पास स्थित गाँवों में खतरा सबसे अधिक पाया गया, जहाँ मानव बस्तियाँ और वन क्षेत्र एक-दूसरे से सटे हुए हैं।

मुआवजा: प्रक्रिया कठिन, राशि कम

कोली ने बताया कि अध्ययन में मुआवजा प्रणाली की बड़ी खामियाँ भी उजागर हुईं। कुल घटनाओं में से केवल 31 प्रतिशत मामलों में ही मुआवजे के लिए दावा किया गया। इसी प्रकार स्वीकृत राशि वास्तविक नुकसान से काफी कम रही वहीं जिले कागजी प्रक्रिया और कम जागरूकता प्रमुख


बाधाएँ रही। इससे ग्रामीणों में आर्थिक दबाव तो बढ़ा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इससे तेंदुआ के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दिखी।

सह अस्तित्व की मिसाल: बदले की भावना नहीं

शोध की सबसे सकारात्मक बात यह रही कि तेंदुआ के खिलाफ बदले में हत्या का कोई मामला सामने नहीं आया। स्थानीय लोगों का दृष्टिकोण लगभग तटस्थ (-0.2 स्कोर) पाया गया, जो बताता है कि सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएँ वन्यजीव संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही हैं।

शिक्षा से बदलता नजरिया अध्ययन में यह भी सामने आया कि अधिक शिक्षित लोग तेंदुआ के प्रति अधिक सकारात्मक सोच रखते हैं जबकि कम आय और कम शिक्षा वाले परिवारों में डर और नकारात्मकता अधिक है। अर्थात् शिक्षा, सहअस्तित्व की सबसे मजबूत कुंजी बनकर उभर रही है।

संघर्ष के प्रमुख कारण विशेषज्ञों के अनुसार संघर्ष के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। इसके तहत जंगल और गाँवों के बीच बढ़ती नजदीकी, खुले और असुरक्षित पशु बाड़े, भूमि उपयोग में बदलाव, अभयारण्य के आसपास मानव



गतिविधियाँ आदि तेंदुआ और मानव संघर्ष के प्रमुख कारण पाए गए हैं।

क्या है समाधान?

शोधकर्ताओं ने इस संघर्ष को कम करने के लिए एकाधिक सुझाव दिए हैं। इसके तहत पशुओं के लिए जालीदार और मजबूत बाड़े बनाने के साथ-साथ चराई में बदलाव करते हुए जंगल के भीतर की बजाय गाँव के पास चराई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार मुआवजा प्रणाली में सुधार प्रकृत सरल प्रक्रिया और बाजार मूल्य के अनुरूप भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने इस संघर्ष को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को सुरक्षा और वन्य जीव व्यवहार की जानकारी देने की बात भी कही है।

एक्सपर्ट व्यू :- एनटीसीए के सदस्य और सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक राहुल धटानार बताते हैं कि अध्ययन स्पष्ट करता है कि तेंदुआ को बचाने के लिए केवल जंगल संरक्षण पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि उन लोगों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जो इन वन्यजीवों के साथ अपनी जमीन साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरावली की पहाड़ियों में यह सह अस्तित्व की कहानी न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल बन सकती है-जहाँ संघर्ष के बीच भी संतुलन संभव है।

-डॉ. कमलेश शर्मा,

ज्याइंट डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशंस) पुलिस हेडक्वार्टर्स, राजस्थान